न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 20/2017

हेमन्त पंडित – बनाम – अकबर अंसारी वगैरह

धारा 144 दं०प्र०सं०

आदेश फलक

03-06-17

अभिलेख उपस्थापित। स्थानीय पुलिस देवरी थाना से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जमीन विवाद से संबंधित मामला में उभय पक्षों को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत कर न्यायालय में बहस सुनकर उभय पक्षों के बीच शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 144 दं०प्र०सं० के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है:- मौजा – महारायडीह, रैयत खाता नं० 22 दररैयत खाता नं० 13 प्लॉट नं० 84 रकबा – 1.65 डी० चौहद्दी:- उ०-रास्ता, द०-सीमाना चिकनाडीह पु०- टॉड़ दुखन मियॉ, प०-रास्ता। उक्त भूमि के संबंध में प्रथम पक्ष के ओर से कोई कारण-पृच्छा दाखिल नही किया गया है।

द्वितीय पक्ष के ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है। जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज खुशहाल मियॉ वगैरह के नाम से खतियान में दर्ज है। जिसके वंशावली के आधार पर द्वितीय पक्ष लम्बे अरसे से भूमि पर दखलकार है। जिसका सरकारी रसीद निर्गत है। उनका यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष अपने को दररैयत बताते है लेकिन वे उक्त भूमि का दररैयत वंशज में नही आते है। क्योंकि वे प्रश्नगत भूमि से संबंधित गॉव के नही है, दुसरे गॉव के निवासी हैं। प्रथम पक्ष को भूमि पर कोई हक नही है।

द्वितीय पक्ष के ओर से जमीन के संबंध में खतियान एवं रसीद की छाया प्रतियॉ दाखिल किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के ओर से प्रश्नगत भूमि के दखल कब्जा के बारे में कोई –

P.T.O.

Scanned with CamScanner

लिखित कारण-पृच्छा दाखिल नही किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि भूमि के संबंध में उन्हे कुछ नही कहना है।

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इसवाद की कार्यवायी समाप्त की जाती है।

लेखाजित

अनु० दण्डा०

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ।

Scanned with CamScanner